



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245989
CG-DL-E-22052023-245989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]
No. 307]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 मई, 2023
आय-कर

सा.का.नि. 379(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 115 खखज, धारा 194खक, धारा 200 की उपधारा (3) की और धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक से साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क के उपनियम(4)में 1 जुलाई, 2023 से,—

(क) खंड (ix), के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:—

“(ix) संदत्त या जमा की गई रकम के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिस पर धारा 164द के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194द के चौथे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194द के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर की गई थी;”;

(ख) खंड (xvii) में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“कक” धारा 194खक की उपधारा (2) के निबंधनों में जीत;”।

3. मूल नियमों में, नियम 132 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“133 (1) धारा 115 खखज के प्रयोजनों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान ऑनलाइन खेल से सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत = (ए+डी)-(बी+सी), जहां –

ए= वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम;

बी = वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोक्त खाते में किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम;

सी = वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ;

डी= वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपयोक्ता खाते का अंतिम अतिशेष;

(2). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम आहरण में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

सकल जीत= ए-(बी+सी) जब –

ए = उपयोक्ता खाते से आहरित रकम

बी= वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में ऐसे आहरण के समय तक किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम ;और

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ।

(3). उपनियम (2) में दिया गया सूत्र में सकल देय शून्य होगी, यदि बी और सी रकमों का योग रकम ए के समान है या उससे अधिक है।

(4). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक पश्चातवर्ती आहरण में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित कि जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत= ए-(बी+सी+ई), जहां –

ए= पश्चातवर्ती आहरण के समय तक वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम जिसके अंतर्गत ऐसे पश्चातवर्ती आहरण की रकम भी शामिल सम्मिलित है;

बी=वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में ऐसे पश्चातवर्ती उपयोक्ता खाते में स्वामी द्वारा बनाए गए ऐसे खाते में वित्त वर्ष के दौरान ऐसी अनुवर्ती निकासी के समय तक गैर कर योग्य जमा कुल रकम, ऐसी अनुवर्ती निकासी से समय तक किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम;

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष;और

ई= पश्चातवर्ती आहरण के समय तक वित्तीय वर्ष के दौरान उपनियम(2) के अधीन या इस उपनियम के अधीन संगणित पूर्ववर्ती आहरण या आहरणों में समाविष्ट सकल जीत, यदि ऐसे आहरण या आहरणों में समाविष्ट जीत पर धारा 194खक के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(5). उपनियम (4) में दिए गए सूत्र में सकल जीत शून्य होगी, यदि बी, सी और ई की रकमों का योग रकम ए के समान है या उससे अधिक है।

(6). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोक्ता खाते में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत= (ए+डी)-(बी+सी+ई) जब -

ए= वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम ;

बी= वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम; और

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ;

डी= वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपयोक्ता खाते का अंतिम अतिशेष; और

ई= वित्तीय वर्ष के दौरान उपनियम(2) या उपनियम (4) के अधीन संगणित पूर्ववर्ती आहरण या आहरणों में समाविष्ट जीत पर धारा 194खक के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(7). उपनियम (6) में दिए गए सूत्र में सकल जीत शून्य होगी, यदि बी,सी और ई रकमों का योग रकम ए और डी के समान है या उससे अधिक है।

स्पष्टीकरण 1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

- (क) "गैर-कराधेय निक्षेप" से उपयोक्ता द्वारा उसके उपयोक्ता खाते में जमा की गई रकम अभिप्रेत है और जो कराधेय नहीं है;
- (ख) "कराधेय निक्षेप" से उपयोक्ता खाते में जमा की गई कोई रकम अभिप्रेत है, जो गैर कराधेय निक्षेप नहीं है और उसमें उपयोक्ता को सीधे संदत्त की गई कोई रकम, जो उपयोक्ता खाते के माध्यम से नहीं संदत्त की गई है, सम्मिलित है;और
- (ग) "आहरण" से किसी उपयोक्ता खाते से उपयोक्ता द्वारा आहरित कोई रकम अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 :- कठिनाईयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

- (क) उपयोक्ता खाते में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात उपयोक्ता का प्रत्येक खाता सम्मिलित हो, जो ऑनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ रजिस्ट्रीकृत है और जहां कोई कराधेय निक्षेप, अकराधेय निक्षेप या उपयोक्ता द्वारा कोई जीत जमा की जाती है और उपयोक्ता द्वारा आहरित की जाती है;
- (ख) जब कभी उपयोक्ता को वस्तु या नकद रूप में या भागतः वस्तु या भागतः नकद में संदाय किया जाता है, जो उपयोक्ता खाते के रूप में नहीं है, इस नियम के उपबंध यह मानते हुए सकल जीत की संगणना में लागू होंगे कि ऐसे संदाय के समतुल्य रकम उसी समय उपयोक्ता खाते से आहरित की गई है और तदनुसार रकम ए सम्मिलित की जाएगी;
- (ग) जब कभी समान उपयोक्ता के बहु उपयोक्ता खाते हैं, प्रत्येक उपयोक्ता खाता सकल जीत की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए विचार में लाया जाएगा और उपयोक्ता खाते में निक्षेप, आहरण या अतिशेष से सभी, उपयोक्ता खाते में निक्षेप, आहरण या अतिशेष का सकल अभिप्रेत है ;
- (घ) जब कभी समान उपयोक्ता के समान ऑनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ समान उपयोक्ता के बहु खाते अनुरक्षित हैं, एक उपयोक्ता खाते से अन्य उपयोक्ता खाते में अंतरण, धारा 194खक के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए यथा स्थिति आहरण या निक्षेप के रूप में नहीं समझा जाएगा ;
- (ङ) जब कभी कराधेय निक्षेप बोनस, निर्देशित बोनस, प्रोत्साहन, प्रोन्नत धन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात छूट के रूप में है; और ऐसे निक्षेप का केवल ऑनलाइन खेल को खेलने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है और आहरण और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है, ऐसे निक्षेप को सकल जीत संगणना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसे रकम बी या रकम सी या रकम डी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;
- (च) जब भी कोई बोनस, निर्देशित बोनस, प्रोत्साहन, प्रोन्नत धन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात छूट खंड (ड.) के अधीन रकम बी या रकम सी या रकम डी के भाग के रूप में नहीं समझी जाती हैं और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्विशेषित किया जाता है और आहरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है, तो वे ऐसे पुनर्विशेषण के समय कराधेय निक्षेप के रूप में समझे जाएंगे और यह समझा जाएगा कि उस समय उपयोक्ता खाते में समतुल्य रकम जमा की गई ।

4. मुख्य नियम, परिशिष्ट II में-

- (क) प्ररूप 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप 1 जुलाई, 2023 से रखा जाएगा और निर्धारण वर्ष 2024-25 और पञ्चतावर्ती निर्धारण वर्षों से लागू होगा, अर्थात्-

“प्ररूप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखें]

भाग क

धारा 192 के अधीन कर्मचारीयों को भुगतान किए गए वेतन के ख़ोत पर कर कटौती अथवा धारा 194त के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशन या ब्याज आय के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण

प्रमाण पत्र सं.		अंतिम बार अद्यतन की गई	
नियोजक/विनिर्दिष्ट बैंक का नाम व पता		कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम व पता	
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कर्मचारी/ विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन	कर्मचारी संदर्भ सं./पेंशन भुगतान आदेश सं. नियोजक द्वारा प्रदत्त की गई हो (यदि उपलब्ध हो)
सी आई टी (टीडीएस) पता..... शहर पिन कोड		निर्धारण वर्ष	नियोजक के साथ अवधि
			से तक

कर्मचारी के संबंध में उनके ख़ोत पर भुगतान/जमा और कर कटौती रकम का सारांश

तिमाहीयों	धारा 200 की उप धारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	संदत्त/ जमा की गई रकम	कर कटौती की रकम (रु.)	जमा किए गए /छूट दी गई कर की रकम (रु.)
कुल (रु.)				

1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.)	बही पहचान संख्याक (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या 24छ की प्राप्ति संख्या	प्ररूप संख्या 24छ में डीडीओ क्रम संख्या	अंतरण वाउचर की तारीख (दिदि/मम/वववव)	प्ररूप संख्या 24छ के साथ मिलान की प्राप्ति

कुल(रु.)					

2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने व्यक्ति के बाबत जमा किया गया कर (रु.)	चालान पहचान सं. (सी आई एन)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव)	चालान क्रम सं.	ओएलटीएस के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल(रु.)					

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं किरुपए [केवल.....(शब्दों में)] की रकम की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान.....	
तारीख :	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
पदनाम:	पूरा नाम :

[भाग ख (उपाबंध-1)]

धारा 192 के अधीन कर कटौती के लिए कर्मचारियों के संबंध में

संदत्त वेतन और अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे

क	क्या धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना गया है?	[हां/नहीं]
1.	सकल वेतन	
(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	रु. ...
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार जहां भी लागू हो)	रु. ...
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खक, जहां भी लागू हो)	रु. ...

(घ)	कुल			रु. ...
(ङ.)	रिपोर्ट की गई अन्य नियोजक(नियोजकों) से प्राप्त वेतन की कुल रकम		रु. ...	
2.	घटाएं: धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते;			
(क)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा खर्चा अथवा सहायता		रु. ...	
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेज्युटी		रु. ...	
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का रूपांतरित मूल्य		रु. ...	
(घ)	धारा 10(10कक) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकद		रु. ...	
(ङ)	धारा 10(13क) के अधीन गृह किराया भत्ता		रु. ...	
(च)	धारा 10(14) के अधीन अन्य विशेष भत्ते		रु. ...	
(छ)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की रकम			
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	...	रु. ...		
(ज)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की कुल रकम		रु. ...	
(झ)	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की रकम			रु. ...
	[2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ङ)+2(च)+2(ज)]			
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम			रु. ...
	[1(घ)-2(झ)]			
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(झक) के अधीन मानक कटौती		रु. ...	
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		रु. ...	
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		रु. ...	
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम			रु. ...
	[4(क)+4(ख)+4(ग)]			
6.	"वेतन शीर्ष" के अधीन प्रभार्य आय [(3+1(ङ.)-5)]			रु. ...
7.	जोड़ें: धारा 192(2ख) के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या अनजय हानि)		रु. ...	

(ख)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		रु. ...	
8.	कर्मचारी द्वारा सूचित अन्य आय की कुल रकम			रु. ...
	[7(क)+7(ख)]			
9.	सकल कुल आय (6+8)			रु. ...
10.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम

(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि आदि में योगदान		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ग)	धारा 80गघ (1) के अधीन पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(घ)	धारा 80ग, 80गग और 80गगघ (1) के अधीन कुल कटौती		रु. ...	रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना संदत्त/जमा की गई रकम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(च)	धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में नियोजक द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ज)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर व्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(झ)	धारा 80गगज के अधीन अग्रिपथ स्कीम में कर्मचारी द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ञ)	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ स्कीम में अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		सकल रकम	अहर्त रकम	योग्यता रकम
(ट)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्थाओं में सदान के संबंध में कुल कटौतियां	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ठ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर व्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ड)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध (ओं) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...

	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ढ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबन्ध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
11.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ङ.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ञ) +10(ट) +10(ठ) +10(ड)]			रु. ...
12.	कुल कराधेय आय (9-11)			रु. ...
13.	कुल आय पर कर			रु. ...
14.	धारा 87 के अधीन छूट(यदि लागू हो)			रु. ...
15.	अधिभार, यदि लागू हो			रु. ...
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा कर @ 4%			रु. ...
17.	देय कर (13+15+16-14)			रु. ...
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			रु. ...
19.	शुद्ध देय कर (17-18)			रु. ...

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान.....

(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख.....

पूरा नाम.....

धारा 194त के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कर कटौती

क्र.	क्या धारा 115खकग(1क) के अलावा कराधान का विकल्प चुन रहे हैं?	[हां/नहीं]		
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन		रु. ...	
2.	प्राप्त वेतन की कुल रकम			रु. ...
3.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती		रु. ...	
(ख)	धारा 16(iii) के अधीन नियोजन पर कर		रु. ...	
4.	धारा 16 [3(क)+3(ख)] के अधीन कटौतियों की कुल रकम			रु. ...
5.	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(2-4)]			रु. ...
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा भुगतान किए गए "अन्य स्रोतों" शीर्ष के अधीन ब्याज आय		रु. ...	
7.	सकल समग्र आय (5+6)			रु. ...
8.	अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां			
		सकल रकम	कटौती योग्य रकम	
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि आदि में योगदान		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन आयकर दाता द्वारा पेंशन योजना के अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(घ)	धारा 80ग, 80गग और धारा 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती		रु. ...	रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(च)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(छ)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		सकल रकम	योग्यता रकम	कटौती योग्य रकम
(ज)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में सदान के संबंध में कुल कटौतियां	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(झ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ञ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ट)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं) के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
9.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ङ)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ट)]			रु. ...
10.	कुल कराधेय आय(7-9)			रु. ...
11.	कुल आय पर कर			रु. ...
12.	धारा 87क के अधीन छूट(यदि लागू हो)			रु. ...
13.	अधिभार, यदि लागू हो			रु. ...
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			रु. ...
15.	देय कर (11+13+14-12)			रु. ...
16.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (व्यौरे संलग्न करें)			रु. ...
17.	शुद्ध देय कर (16-17)			रु. ...

सत्यापन	
मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों, दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों, टीडीएस जमा और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है..	
स्थान	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख	पूरा नाम:

टिप्पण :

- सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- कटौतीकर्ता, आय कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
 - निर्धारिती के विकल्प पर प्ररूप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपाबंध-I) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
 - प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जाएगा
- भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।
- कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध-I) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) ओर 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रूप से भरेगा।";

(ख) प्ररूप 24थ में 1 ज़ुलाई 2023 से प्रवृत्त :-

(i) सारणी के क्रम सं. 4, स्तंभ सं. 4 में “शिक्षा कर” शब्दों के स्थान पर “स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) सारणी के उपाबंध I में, "सत्यापन" से पहले, स्तंभ 11 में, शब्द "शिक्षा उपकर", के स्थान पर, "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" शब्दों को रखा जाएगा;

(iii) "उपाबंध II", के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध को रखा जाएगा, अर्थात्:—

[illegible][illegible][illegible]

धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती		धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती		धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ योजना में अंशदान के संबंध में कटौती		धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ योजना में अंशदान के संबंध में कटौती		धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती.		धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर व्याज के संबंध में कटौती		धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में सदान के संबंध में कुल कटौतियां		धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर व्याज के संबंध में कटौती		अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य रकम		अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का कुल [357+359+361(रु.1,50,000 तक) +363 +364ख +365ख +366ख+ 367ख +369 +372 +375 +378].			
सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	अर्हक योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम	
(362)	(363)	(364क)	(364ख)	(365क)	(365ख)	(366क)	(366ख)	(367क)	(367ख)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)

कुल कराधेय आय (355-379).	कुल आय पर आयकर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जहां वेतन आदि बकाया या अग्रिम के रूप में संदत्त किया जाता है	कुल कर दायित्व [381+383+384-(382+385)].	सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान नियोजक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कर कटौती की रिपोर्ट की गई रकम (स्तंभ 339 में कुल कराधेय आय की संगणना में, जिसके संबंध में आय)	सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम (387+388).	कर कटौती में कमी (+) या आधिक्य कर कटौती (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

टिप्पण:

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा रकम का पुनः संदाय, परिलब्धियां, किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके अन्तर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए संदाय भी हैं, वेतन का अग्रिम, उपयोग नहीं की गई किसी अवधि की छूटी के संबंध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10 (10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के बकाया में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी गई कोई राशियां, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां शामिल है।

2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को उस कर्मचारी के कोई अभिदाय उसके निमित्त संदत्त करता है, ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरण में सम्मिलित होंगे।
3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है।
4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां गृह ऋण, जिसपर ब्याज संदत्त किया जाता है, वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।

(iv) उपाबंध III, पहली सारणी के पांचवें स्तंभ में “क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना है” [हां/नहीं]”, शब्दों के स्थान पर “क्या धारा 115खकग (1क) के अधीन कराधान के अलावा विकल्प चुना है [हां/नहीं]” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त, प्ररूप 26थ में,—

(i) “[192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ड. ड., 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ढ, 194ण, 194त, 194थ, 194द, 194ध, 197क, 206कक, 206कख और नियम 31क देखिये]”; कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खक, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194डड, 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ढ, 194ण, 194त, 194थ, 194द, 194ध, 197क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें ” के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे:—

(ii) उपाबंध के लिए निम्नलिखित उपाबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा

" उपाबंध:- कटौती/टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन "

(कृपया मुख्य फॉर्म 26थ के क्रम सं. 0 सारणी की प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

तारीख..... (दिदि/मम/वववव) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त रकम /जमा की गई रकम और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम सं. /प्ररूप 24छ डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उध्वार्धर रूप में स्तंभ 421 में आवंटतीय कुल कर	
कटौतीकारों/पाने वालों के बीच आवंटतीय कुल ब्याज	

संदायकर्ता का नाम	
टैन	

[illegible]

यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया है, तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94द-त का चयन किया है, तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94घ-त का चयन किया है, तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है, तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[426क]	[426ख]	[426ग]	[426घ]	[427क]	[427ख]	[427ग]	[427घ]	[428क]	[428ख]	[428ग]	[428घ]	[429क]	[429ख]	[429ग]	[429घ]

सत्यापन

मैं....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टिंशं सही और पूर्ण हैं।

स्थान..... स्त्रोत कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख..... स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :-

1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है"।
2. "ख" लिखें, यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न धारा 197 क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. "ग" लिखें यदि पै नं. प्रस्तुत करने के मद्दे धारा 206कक के अधीन उच्चतर दर पर कटौती की गई है।
4. "घ" लिखें, यदि धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
5. "ङ." लिखें, यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18 तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
6. "म" लिखें, यदि यदि आय-कर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. "न" लिखें, यदि परिवाहक होने पर कटौतीकर्ता/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीकर्ता/पाने वाले का पै न आवश्यक है (धारा 194 ग(6))
8. "य" लिखें, यदि धारा 197क(1च) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
9. "ड" लिखें, यदि धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।*
10. "ढ" लिखें, यदि धारा 194ढ के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ढ के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।*

11. "ण" लिखें, यदि धारा 194खक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है।
12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में निर्दिष्ट कारबार न्यास को दिए गए लाभांश के संदाय के कारण यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।
13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में निर्दिष्ट किसी ईकाई को किए गए संदाय को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'थ' लिखें।
14. धारा 194कख की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं है तो 'ध' लिखें।
15. धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण यदि कटौती उच्च दर पर होती है तो 'न' लिखें
16. यदि धारा कोड की सूची निम्न प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत	194ख
धारा 194ख के परंतुक	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत जहां कर दायित्व को चुकाने के लिए वस्तु या नकद के रूप में दिया गया प्रतिफल पर्याप्त नहीं है तथा ऐसी जीत से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	94ख-त
194खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	94खक
धारा 194खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में कर दायित्व चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	94खक-त
194खख	घुड़दौड़ से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का संदाय	194ग
194घ	बीमा आयोग	194घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	194घक
194ङ.ङ.	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन जमा रकम के संबंध में संदाय	194ङ.ङ.
194च	म्यूचल फंड या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के पुनःविक्रय के कारण संदाय	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि	194छ
194ज	दलाली या ब्रोकरेज पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झ(क)
194झ(ख)	किराया	194झ(ख)
194ज(क)	सिनेमेट्रोघ्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन या वितरण तथा विक्रय के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क(वृत्तिक सेवा नहीं) के लिए रॉयल्टी @2%	194ज(क)

194ज(ख)	वृत्तिक सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए शुल्क @10%	194ज(ख)
194ट	इकाईयों के संबंध में आय	194ट
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	194ठक
194ठखक(क)	कारबार न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को व्याज रूप में कतिपय आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	कारबार न्यास की इकाईयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में कतिपय आय	194ठखक(ख)
194ठख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	1194ठखग
194ड	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न	194ड
194ड प्रथम परंतुक	गैर फाइलों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के भिन्न	94ड-च
194ड तीसरा परंतुक	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित सहकारी समितियों को नकद में कतिपय राशि का संदाय	94ड-ग
194ड प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	सहकारी समितियां होने के नाते गैर-फाइलर्स को कतिपय रकम का संदाय	94ड-चन
194ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स ऑपरेटर द्वारा कतिपय रकम का संदाय	194ण
194य	माल की खरीद के लिए कतिपय रकम का संदाय	194य
194द	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ	194द
धारा 194द की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ जब ऐसे फायदा व अभिलाभ वस्तु या कुछ भाग नकद में प्रदान किए जाते हैं और कर दायित्व के लिए पर्याप्त नहीं है तथा अपेक्षित कर कटौती का संदाय ऐसे फायदे के निर्माण से पूर्व हो चुका है	94द-च
194ध	विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का संदाय	194ध
धारा 194ध की उपधारा(1) का प्रथम परंतुक	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण हेतु संदाय जहां संदाय वस्तु के रूप में या अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के विनिमय में हो तथा अपेक्षित कर कटौती का ऐसा संदाय निर्माण होने से पूर्व हो चुका है	94ध-त”;

(घ) प्ररूप सं. 27थ में 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त, -

(i) “[धारा 194ड. , 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें”, कोष्टकों, शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्टकों, शब्दों, अंकों तथा अक्षरों को रखा जाएगा अर्थात्:-

“धारा 194ख, 194खक, 194खख, 194ड. , 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें”

(ii) सारणी के क्रम सं. 4, के स्तंभ सं. 4 में “शिक्षा कर” शब्दों के स्थान पर “स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंधः स्त्रोत पर कर कटौती का कटौतीकर्ता वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 की सारणी की प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही (तारीख /माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप 24 छ की रसीद संख्या		संदायकर्ता का नाम	
जिस तिथि को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)		टैन	
फॉर्म सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.			
चालान के अनुसार रकम			
डिडकटियों के बीच किया जाने वाला आबंटित कुल टीडीएस जाने वाला जैसा कि , स्तंभ 720 के लंबवत कुल में दिया गया है।			
नीचे वर्णित डिडकटियों के बीच कुल ब्याज का आबंटन			

[illegible]

कटौती की तारीख	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती कम न करने/प्रेसिंग अप/ उच्च कटौती (टिप्पण 1 सं. 1 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/ कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या टीडीएस की दर आयकर अधिनियम(क) डीटीएए(ख) के अनुसार है	धन प्रेषण की प्रकृति	सत्स्थानी प्ररूप सं. 15गक की अद्वितीय पावती यदि कोई हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	डिडकटी की ई मेल आई डी	डिडकटी का संपर्क नंबर	डिडकटी का पता जिस देश का निवासी हो	डिडकटी का टिन नंबर/यू आई एन
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है , तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[739]	[740]	[741]	[742]	[743]	[744]	[745]	[746]

सत्यापन

मैं.....स्पष्ट करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।

स्थान.....

स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख.....

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

टिप्पणी :-

1. धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के कारण यदि “कम कटौती” या “कोई कटौती नहीं” तो "क" लिखें

2. यदि जोड़ किया गया है तो 'ग' लिखें
3. यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तुत न करने का कारण या आधार से साथ स्थायी लेखा खाता को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के अधीन कटौती उच्च दर पर हो तो 'घ' लिखें।
4. यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई नहीं है तो 'ड.' लिखें
5. धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
6. धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें
7. धारा 194क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'ण' लिखें।
8. धारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'एच' लिखें। धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है
9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'झ' लिखें।
10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने धारा 206कख के मद्देनजर कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ञ' लिखें।
11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

1. डिडक्टी कोड की सूची

क्रम सं.	डिडक्टी कोड	विवरण
1	01	कंपनी, घरेलू कंपनी के अलावा
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) मामलों के अलावा जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vi) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

2. डिडकटी के मामले में नियम 37खग द्वारा आच्छादित स्थायी खाता संख्या तथा आधार नंबर उपलब्ध नहीं है उसका वर्णन करना आवश्यक है.

3. धारा कोड की सूची इस प्रकार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	करकर्मचारी को देय संचित रकम का भुगतान	192क
194ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	94ख
धारा 194ख के परंतुक	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	94ख-त
194खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	94खक
धारा 194खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	94खक-त
194खख	घुड़दौड़ से जीत	4खख
194ड.	अनिवासी खिलाड़ी/खेल संघों को भुगतान	94ड.
194ठख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	4 ठख
194खक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक 1
194खक(ख)	धारा 10(23चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक 2
194खक(ग)	धारा 10(23चग(ग)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक 3
194खख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	ठखख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	ठखग
194ग(2)(i) एवं (क)	धारा 194ग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (क) के अधीन आय	4ग 1
194ग(2)(ख)	धारा 194ग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (ख) के अधीन आय	4ग 2
194ग(2)(ग)	धारा 194ग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (ग) के अधीन आय	4ग 3
194ठघ	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	4 ठघ
194ह	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों के अलावा	94ह
194ह प्रथम परंतुक	गैर फाइलरों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के अलावा	4ह-ड
194ह तीसरा परंतुक	सहकारी समितियों के प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित निश्चित नकद रकम का संदाय	4ह-ग

194ड प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छदित सहकारी समितियों के निश्चित नकद रकम का संदाय	4ड-चन
195	अनिवासी को अन्य देय रकम	195
196क	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	96क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	96ख
196ग	अनिवासी को संदेय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	96ग
196घ(1)	उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय	96घ
194घ(1क)	धारा 194डघ में निर्दिष्ट व्याज आय के से भिन्न धारा 115डघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विनिर्दिष्ट निधि की आय	96घक

(ड) प्ररूप सं. 27डघ में 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त, -

(i) सारणी के क्रम सं. 4, के स्तंभ सं. 4 में " शिक्षा कर" शब्दों के स्थान पर " स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर " शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध रखा जाएगा, अर्थात्:—

" उपाबंध: स्रोत पर कर कटौती के दल वार आंकड़ें"

(कृपया मुख्य प्ररूप 27डघ के क्रम सं. 4 में प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही (तारीख /माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की रसीद संख्या	
जिस तारीख को चालान जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)	
फॉर्म सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार राशि	
स्तंभ 677 के उधर्वाधर योग के रूप में संग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल टीसीएस	
उल्लिखित से ग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल व्याज	

संग्रहकर्ता का नाम	
टैन	

क्र. स	संग्रहकर्ता का संदर्भ सं. संग्रहकर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	संग्रहकर्ता का कोड (टिप्पणी 10 देखें)	क्या निवासी है या अनिवासी (हां/नहीं)	संग्रहकर्ता का पैन	क्या संग्रहकर्ता ने धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना है)?	संग्रहकर्ता का नाम	संव्यवहार की कुल रकम	प्राप्त / जमा रकम	तारीख जब रकम प्राप्त हुई/ विकलित हुई (दि/म/)	संग्रह कोड (टिप्पणी 11 देखें)	कर	अधिभार	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	कुल संग्रहित कर [673+674+675]
[664]	[665]	[666क]	[666ख]	[667क]	[667ख]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]
1														
2														
3														
कुल														

कुल जमा कर	संग्रहण की तारीख (दि/ मा/व)	जिस दर पर संग्रहण किया गया	गैर-संग्रहण/ निम्नतर संग्रहण या उच्चतर दर पर संग्रहण का कारण (टिप्पणी 1 से 9 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 206 के अधीन कर के न्यूनतम संग्रहण के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या संग्रहकर्ता द्वारा संदाय उपधारा (1ख) के पांचवे परंतुक के खंड (j) या उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अनुसार टीडीएस के लिए दायी है और क्या ऐसे संदाय के लिए टीडीएस भी कटौती कर ली गई है ?/यदि 680 में या तो "च" या "छ" का चयन किया गया है)	यदि 681क का उत्तर हां है तो	
						चालान संख्या	केंद्रीय सरकार को टीडीएस संदाय की तारीख
[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681क]	[681ख]	[681ग]

सत्यापन

मैं..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।
स्थान..... स्त्रोत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख..... स्त्रोत पर कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

टिप्पण :-

1. यदि धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
2. यदि धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण संग्रहण हो तो 'ख' लिखें
3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार प्रस्तुत न करने के कारण धारा 206गग के अधीन संग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
4. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के प्रथम परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'घ' लिखें
5. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'ड' लिखें।
6. यदि उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हो तो 'च' लिखें।
7. यदि धारा 206 ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'झ' लिखें।
8. यदि धारा 206ग की उपधारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या उपखंड (क) या (ख) या (ग) के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'त' लिखें।
9. यदि धारा 206गक को ध्यान में रखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
10. संग्रहकर्ता कोड की सूची

क्रम सं.	पक्षकार कोड	विवरण
1	01	कंपनी,
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगम(एओपी) , ऐसे एओपी के अलावा कंपनी इसकी सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगम(एओपी) जिसमें केवल कंपनी ही इसकी सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vi) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

11. निम्नवर्णनानुसार संग्रहण कोड लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	संग्रहण कोड	
206ग	मानवीय उपभागों के लिए मध्यसारिक पान से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ख
206ग	वन पट्टे के अलाव अन्य तरीके से अभिप्राप्त काष्ठ से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	घ
206ग	स्क्रैप से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ङ
206ग	पार्किंग स्थल से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	छ
206ग	खान या खदान से संबंधित से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ज
206ग	तेंदू पत्ते से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	झ
206ग	कोयला या लिग्नाइट या लोह अयस्क जैसे खनिजों के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ञ
206ग	ब्लियन और आभूषणों के नकद विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ट
206ग	मोटर गाड़ी के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ठ
206ग	ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के क्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ण
206ग	धारा 80 ड में उल्लिखित वित्तीय संस्था से लिए गए शैक्षिक ऋण से एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	त
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों को छोड़कर एल आर एस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	थ
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों के लिए और कोड पी के अधीन समावेश नहीं किए गए एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	न
206ग	माल के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	द

[अधिसूचना संख्या 28/2023/फा. सं. 370142/12/2023-टीपीएल]

मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ.), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227 (अ) तारीख 28.03.2023 द्वारा किया गया।